उनवान– उमेश बनाम मुकेश आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 50 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
06.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त कृषि भूमियां ख0नं0 1320, 3945, 3946, 4254, 4255, 4256 कुल किता 6 कुल रकबा 4.7100 है0 वाके ग्राम विजय नगर, प0ह0 पलसाना भू0अ0नि0 पलसाना, तहसील दांतारामगढ़,सीकर में प्रार्थी का 1/60 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज के अनुसार कब्जा काश्त है, शेष हिस्से पर अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार है। कृषि भूमियां ख0नं0 3693, 3694, 3699, 3700/2, 3719, 3720/1 3724, 3725, 3727, 3733 कुल किता 10 कुल रकबा 3.5000 है0 में प्रार्थी का 121/21000 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज के अनुसार कब्जा काश्त है शेष हक हिस्से पर अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार है। वादग्रस्त कृषि भूमियों ख0नं0 3900, 3901, 3902, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, कुल किता 8 कुल रकबा 3.2200 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/240 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज के अनुसार कब्जा काश्त है, शेष हकं हिस्से पर अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार है। ख0नं0 3890, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8600 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/240 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज के अनुसार कब्जा काश्त है शेष हक हिस्से पर अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार है। वादग्रस्त भूमियां ख0नं0 3955, 3956, 3957, 3958, 5096/3950, 5097/3952, 5099/3953 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0600 है0 संपूर्ण भूमियां जो ग्राम विजयनगर प0ह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़ सीकर में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/20 हक हिस्सा पैतृक रूप से निहित है जिस पर कब्जा काश्त है। जिसका प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उद्घोषणा कराते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का हक अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने व सुशीला देवी, मंजू देवी पुत्रियां भींव सिंह ने ही अपने नाम से प्रार्थी के नानाजी भीवसिंह की विरासत का नामान्तरण अपने नाम से तस्दीक करा लिया गया था तथा बाद में सुशीला देवी, मंजू देवी पुत्रिया भींव सिह ने हकत्याग अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से कर दिया गया है। शेष हक हिस्से पर वाद में प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मद सं0 13 के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है।	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

हमने वकील प्रार्थी/वादी को सुना तथा पत्रावली उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उभय पक्ष को पाबन्द करते हुए हमारी टी0आई0 कंफर्म की जावे, तथा जो पक्षकार टी0आई0 में पार्टी नहीं है, वे पक्षकार दावे में शामिल है। अगर उनको उक्त स्थगन से आपत्ति होती तो वे पक्षकार बनने हेतु आवेदन पेश कर पक्षकार बनकर अपना पक्ष रखते। वकील प्रार्थी द्वारा टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा अंतर्गत व रिकॉर्ड संशोधन धारा 88, 188, 53, 136 राज0काश्त0 अधिनियम 1955 पेश किया है, जो वर्तमान में तलबी एंव जवाब दावा में विचाराधीन है। अप्रार्थी सं0 1 ता 7 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्याय हित में उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम विजयनगर प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर के वर्तमान ख0नं0 1320, 3945, 3946, 4254, 4255, 4256 कुल किता 6 कुल रकबा 4.71 है0 व ख0नं0 3693, 3694, 3699,3700/2, 3719, 3720/1 3724, 3725, 3727, 3733 कुल किता 10 कुल रकबा 3.50 है0 एंव ख0नं0 3900, 3901, 3902, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, कुल किता 8 कुल रकबा 3.22 है0 एंव ख0नं0 3890, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899 कुल किता 9 कुल रकबा 2.86 है0 व ख0नं0 3955, 3956, 3957, 3958, 5096/3950, 5097/3952, 5099/3953 कुल किता 7 कुल रकबा 3.06 है0 के राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर